

2026:AHC-LKO:20624

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 457/2026

जुबैर और 2 अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव गृह एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : छाया त्रिपाठी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. द्वारा आज दायर किया गया प्रति शपथ पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. ने न्यायालय को सूचित किया है कि वर्तमान आपराधिक अपील का नोटिस विपक्षी संख्या 2 को तामील करा दिया गया है, और इस संबंध में संबंधित पुलिस थाने की आख्या को प्रति-शपथ पत्र के साथ संलग्नक संख्या सी.ए.-1 के रूप में संलग्न किया गया है।

आज जब इस मामले की सुनवाई हुई, तो न तो विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित था और न ही कोई जवाब दायर किया गया है; इसलिए, इस न्यायालय के पास इस मामले में कार्यवाही आगे बढ़ाकर इस अपील पर निर्णय देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता सुश्री छाया त्रिपाठी और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना, तथा अभिलेख का भी अवलोकन किया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-क (2) के तहत यह वर्तमान आपराधिक अपील, रायबरेली के विद्वान विशेष न्यायाधीश अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम द्वारा दिनांक 27.01.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। यह आदेश जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 167/2026 के संबंध में पारित किया गया था, जो मुकदमा अपराध संख्या 0133/2025 से उत्पन्न हुआ है। यह मामला भा०न्या०सं० की धारा 115(2), 352, 110 तथा अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम की धारा 3(2)(V), 3(1)(द), 3(1)(घ) के तहत थाना शिवरतनगंज, जिला अमेठी में दर्ज है; जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था।

अपीलकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अपीलकर्ताओं को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी का कोई ज़िक्र नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से और बिना किसी ठोस स्पष्टीकरण के दर्ज की गई है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि सभी अभियुक्तों पर 'मारपीट' का एक सामान्य आरोप लगाया गया है, जबकि अपीलकर्ताओं के लिए कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि चिकित्सीय आख्या के अनुसार, एक चोट को छोड़कर, बाकी सभी चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया कि दुकान से जुड़े एक विवाद के कारण, अपीलकर्ताओं को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि कथित अपराध के लिए निर्धारित सज़ा सात साल से कम है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता 25.11.2025 से जेल में निरुद्ध हैं, जबकि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और वे मुकदमे की कार्यवाही में भी पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अपीलकर्ता साक्षियों या इस मामले के तथ्यों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को डराएंगे या उन पर दबाव डालेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपर्युक्त कारणों से, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है, तथा आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए; और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य हैं।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने ज़ोरदार ढंग से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह निवेदन किया है कि अपीलकर्ता शिकायतकर्ता जो अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) श्रेणी से संबंधित है पर हमला करने में शामिल थे, उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के पक्ष को सही तरीके से समझा है; इसलिए, अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने के पात्र नहीं हैं और इस आपराधिक अपील को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, वे अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य तथ्यात्मक निवेदनों का खंडन करने में विफल रहे हैं।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप भी शामिल हैं, का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी होने का नहीं है; प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से और बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के दर्ज करायी गयी है; सभी अभियुक्तों को 'मारपीट' में सामान्य भूमिका उल्लेख है और अपीलकर्ताओं की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बतायी गई है; एक चोट को छोड़कर, बाकी सभी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई हैं; दुकान के विवाद के कारण, अपीलकर्ताओं को इस मामले में झूठा फंसाया गया है; कथित अपराध में सज़ा सात साल से कम है; अपीलकर्ता 25.11.2025 से जेल में निरुद्ध हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; और उन्होंने यह वचन दिया है कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे में सहयोग करेंगे। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस मत का है कि अवर न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सही मूल्यांकन करने में विफल रहा है; अतः, अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाना उचित है।

तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है। परिणामस्वरूप, विद्वान् विशेष न्यायाधीश, अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, रायबरेली द्वारा ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 167/2026 में दिनांक 27.01.2026 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश – जो मुकदमा अपराध संख्या 0133/2025 से उत्पन्न हुआ है, और जिसमें भा०न्या०सं० की धारा 115(2), 352, 110 तथा अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम की धारा 3(2)(व), 3(1)(द), 3(1)(घ) के तहत आरोप हैं, और जो थाना शिवरतनगंज, ज़िला अमेठी से संबंधित है – एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

अपीलकर्ताओं—**जुबैर, सोनी @ अनवर और मोनी @ सरवर**—को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निजी मुचलके और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए:

- I. अपीलकर्तागण परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेंगे।
- II. अपीलकर्तागण परीक्षण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- III. अपीलकर्तागण अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएंगे नहीं।
- IV. अपीलकर्तागण कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।
- V. अपीलकर्तागण, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, ताकि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- VI. अपीलकर्तागण निर्धारित प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
- VII. अपीलकर्तागण साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेंगे।
- VIII. अपीलकर्तागण, धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर, परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

चूँकि यह आदेश अपीलकर्तागण को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और परीक्षण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

20 मार्च 2026

केकेवी/

(न्यायमूर्ति, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)